राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 151/2023 जीसीएमएस नम्बर : 2023/673

पुथ्वीसिंह पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी महराना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

.........प्रार्थी

<u>बनाम</u>

तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र</u>

<u>अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :– **दिनांक: 04.08.2023**

प्रार्थी की ओर से वाद पत्र निम्नप्रकार से पेश है–

1. यह है कि ग्राम महराना तहसील बुहाना की सरहद में प्रार्थी की खुद कास्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 180 रकबा 0.74 है. खसरा नम्बर 760/181 रकबा 0.03 है. किता 2 कुल रकबा 0.77 है. स्थित जिस पर प्रार्थी काबिज कास्त है।
2. यह हैकि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 180, 760/181 कुल रकबा 0.77 है. का सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार को आवेदन किया था। प्रार्थी के आवेदन पर अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 180, 760/181 कुल रकबा 0.77 है. का सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2023 को पटवार हल्का खानपुर मौके पर पहुंचा और उक्त खसरा के कास्तकारो की मौजुदगी में नक्शा लठ्ठा व फीते की सहायता से सीमाज्ञान किया गया। मौके पर सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार की गई।
3. यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की चारो दिशाओं में पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में खेत के पडौसियों से सीमा बाबात किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 180, 760/181 कुल रकबा 0.77 है. का विधिवत नाप कर पुख्ता चिन्ह कायत करके पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया है।
4. यह कि विवादीत भूमि वाके ग्राम [redacted] त[illegible]ना में स्थित होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान[illegible]
5. यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट [illegible] पेश है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ वादी का शपथ पत्र भी संल[illegible]

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible]के ग्राम महराना में [illegible] भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के के ख0न0 180 रकबा 0.74 है0, ख0न0 760/181 रकबा 0.03 है0 भूमि का पत्थरगढी करने के आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। प्रार्थी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 175 ग्राम महराना, नकल नक्शा ट्रेस व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 मय नजरी नक्शा पेश किया गया।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम महराना की जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 175 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 03.07.2023 को तहसीलदार बुहाना के आदेश पर वादग्रस्त भूमि का करवाया गया मौका सीमाज्ञान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है। अधिवक्ता वादी ने बहस में कथन किया कि विवादित का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने का तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे। अतः सीमाज्ञान दिनांक 03.07.2023 के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम महराना तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 175 के खसरा नंबर ख0न0 180 रकबा 0.74 है0, ख0न0 760/181 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना की जाकर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:59:32 IST
Reason: SelfAttested